राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in
CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2017-18 / 1963 दिनांक : 23/03/18

कार्यालय आदेश

M/s Zee Laboratories Ltd., Behind 47, Industrial Area, Paonta Shahib-173025 की वर्ष 2015–16 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(169)/ RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-01/2016/01 दिनांक 01/01/2016 के तहत औषधि Dexamethasone Inj IP 8mg/2ml [39] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 852 दिनांक 19/09/2016 एवं 1207 दिनांक 11/08/2017 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशो की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के 07 बैच को Sterility Test/ Free Dexamethasone (by HPLC) में अमानक कोटि के घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के 04 बैच Free Dexamethasone (by HPLC) में अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों न आपकी फर्म की उक्त औषधि को निविदा शर्तो के अनुसार डिबार कर दिया जाये? दिनांक 20/02/2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक समिति ने पाया कि फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में परिभाषित हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2017-18/1329 दिनांक 13/12/2017 के क्लॉज 4.5 के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Zee Laboratories Ltd., Behind 47, Industrial Area, Paonta Shahib-173025 की औषधि Dexamethasone Inj IP 8mg/2ml [39] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

22/3/18

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2017-18 / 1963 दिनांक : 23/03/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम.।

4. निदेशक, पी.एच / आर.सी.एच. / एच.ए / ए.आई.डी.एस. / एम.एस.यू / आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान / हिमाचल प्रदेश।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट) / वित्त / एल / ई.पी.एम एवं ए.जी.एम.(आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात / केरल / तमिलनाडु / बिहार / छत्तीसगढ़ / पश्चिम बंगाल / कर्नाटक / हरियाणा / मध्य प्रदेश / महाराष्ट्र / जम्मू कश्मीर।
13. M/s Zee Laboratories Ltd., Behind 47, Industrial Area, Paonta Shahib-173025.
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)